भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 863

जिसका उत्तर 23.07.2026 को दिया जाना है

एनएच-53 के अंतर्गत भंडारा-देवरी खंड

†863. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अशोक हाईवेज भंडारा लिमिटेड द्वारा बीओटी मॉडल के अंतर्गत कार्यान्वित महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-53 (पुराना एनएच-6) भंडारा-देवरी खंड में कथित तौर पर चार वाहन अंडरपास (वीयूपी) और लगभग आठ किलोमीटर स्वीकृत सड़क लंबाई का निर्माण न करके मूल रियायत समझौते का उल्लंघन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन कमियों के परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा रियायतग्राही से लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि वसूली योग्य हो गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनएचएआई संविदात्मक उल्लंघनों के बावजूद लगभग दस वर्षों तक वसूली की कार्यवाही शुरू करने में विफल रहा, जिससे कथित तौर पर रियायतग्राही को अनुचित वित्तीय लाभ मिला; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के विलंब के क्या कारण हैं और इसके लिए किन अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है तथा सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक और दंडात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) वन क्षेत्र में 4 वाहन अंडरपास (वीयूपी) और 7.944 किलोमीटर के 4 लेन के कुछ कार्यों को वन और वन्यजीव मंजूरी की अनुपलब्धता के कारण रियायत अवधि के दौरान निष्पादित नहीं किया जा सका। तदनुसार, मैसर्स अशोका हाइवेज भंडारा लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित निर्माण-संचालन-हस्तांतरण (बीओटी) रियायत के कार्य-क्षेत्र में रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार संशोधन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और रियायतग्राही के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन दिनांक 27.04.2022 के तहत कार्य सूची से हटाए गए (डी-स्कोप) कार्यों के वित्तीय और संविदात्मक निहितार्थों को अंतिम रूप दिया गया था।

(ख) डी-स्कोप किए गए कार्यों से संबंधित वित्तीय निहितार्थों में चार वीयूपी/संबंधित संरचनाओं के लिए 10.49 करोड़ रुपये और 7.944 किलोमीटर वन खंड को चार-लेन बनाने के लिए 55.63 करोड़ रुपये की अनुमानित निर्माण लागत शामिल थी, जिसे एनएचएआई द्वारा देय निपटान राशि के एवज में विधिवत रुप से समायोजित/सेट ऑफ किया गया था।

(ग) से (घ) एनएचएआई के कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन, टोल राजस्व क्षतिपूर्ति और अन्य संविदात्मक दावों/प्रतिदावों से संबंधित मुद्दों को रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार और उचित कानूनी प्रक्रिया के पश्चात् दिनांक 27.04.2022 की तारीख के निपटान समझौते के माध्यम से हल किया गया है।
